इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
राजभाषा अनुभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय

परिपत्र (Circular)

डीएलआई/राजभाषा/पखवाड़ा-14 30 अगस्त, 2022

विषय: **समस्त क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन करने के संदर्भ में।**

संदर्भ: **गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजभाषा विभाग के** आ.शा.पत्र सं. **11034/12/2022-रा.भा.(निति) दिनांक 24 जून, 2022 के अनुसार।**

उपरोक्त संदर्भीय विषय के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजभाषा विभाग प्राप्त आ.शा.पत्र सं. **11034/12/2022-रा.भा.(निति) दिनांक 24 जून, 2022** में दिए गए निदेशानुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु ईपीआई कॉर्पोरेट कार्यालय तथा समस्त क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष-2022 से हिंदी पखवाड़े का आयोजन करना अपेक्षित है। (प्रति संलग्न है)

भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को/से हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाने के अनुदेश भी अनिवार्य होते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय तथा समस्त क्षेत्रीय कार्यालय में पिछले वर्ष सितंबर माह 2021 में 01 सितंबर से 14 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया था इस वर्ष भी सितबंर माह, 2022 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें हिंदी से संबंधित विविध प्रतियोगिताओं यथा हिंदी निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, महा प्रबंधक एवं उच्च अधिकारियों के लिए घोषवाक्य तथा हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता तथा हिंदी कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाएगा।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र के अनुसार समस्त क्षेत्रीय/साइट कार्यालय प्रभारियों से अनुरोध है कि वे 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2022 के बीच अपनी सुविधानुसार हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन अवश्य (अनिवार्य रूप) से करके राजभाषा प्रचार-प्रसार को विशेष रूप से बढ़ावा दें। साथ ही, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी अवश्य करें। ये समस्त आयोजन क्षेत्रीय/साइट कार्यालय के बजट से ही किए जाएंगे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया कॉर्पोरेट कार्यालय के राजभाषा अनुभाग से संपर्क करें। आयोजित प्रतियोगिताओं का ब्यौरा कॉर्पोरेट कार्यालय के राजभाषा अनुभाग में अवश्य प्रेषित करें। आपके सहयोग हेतु राजभाषा प्रभाग में समन्वय रखें। **उपरोक्त समारोह का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित है, ताकि भारत सरकार के संसदीय राजभाषा समिति, भारी उद्योग मंत्रालय की समिति, नराकास समिति को यथोचित रिपोर्ट भेजी जा सके।**

आर.के. 30/08/22

(ए. राधाकृष्णन)
कार्यकारी निदेशक (मा.संसा. एवं प्रशा.)
एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता/मुम्बई/चेन्नई/नई दिल्ली/गुवाहाटी
समस्त साइट प्रभारी
सूचनार्थ माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कार्यालय/मा.निदेशक परियोजनाएं कार्यालय
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (वेबसाइट में डालने हेतु)
सहायक निदेशक (राजभाषा), राजभाषा अनुभाग, कमरा नं. 58-ए, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011